(9)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 126 / 2020

राजेश कुमार सैनी, एडवोकेट पुत्र श्री शिवकरण सैनी, जाति माली, निवासी ए–8 के पीछे, नेहरू नगर, शिवाजी मार्ग, पानीपेच, जयपुर।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 17.12.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 06.11.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 126 / 2020 पर दिनांक 09.11.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 1976 –1977 दिनांक 09.11.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी ने पत्रांक सू0अ0अ0 / 20 / 457 दिनांक 02.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन इस कार्यालय मे दिनांक 26.10.2020 को प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू0अ0अ0 / 20 / 443 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवादी गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी के पत्रांक सू0अ0अ0 / 20 / 457 दिनांक 02.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन उनके कार्यालय मे दिनांक 26.10.2020 को प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक सू0अ0अ0 / 20 / 443 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा निर्धारित अवधि मे ही उपलब्ध करवादी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं